न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः–39/2017
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. कैलाश पत्नी इन्द्रपाल जाति जाट निवासी 5 केएचआर ढ़ाणी टिब्बी तहसील टिब्बी।

–प्रार्थीया

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री जयनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीया
2. श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय दिनांकः–11.5.2018

प्रार्थीया कैलाश द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया गया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि चक नं.5 केएचआर जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 38/25 में 3.0360 है.दर्ज है जिसमें प.नं.234/208 कि.नं.18 में प्रार्थीया की रिहायशी ढ़ाणी बनी हुई है। प्रार्थीया को उक्त आराजी व ढ़ाणी में आने–जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है ,वर्तमान में वह अप्रार्थी देवीलाल के नाम से दर्ज आराजी चक नं. 5 केएचआर जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 71 के प.नं. 234/208 मु.नं. 38 के कि.नं. 19 में चालू 1 बिस्वा यापि 0.013 है. रास्ता से आती जाती है। उक्त खातों की नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

उपरोक्त वर्णित आराजी में आने–जाने के लिये प्रार्थीया को कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है,प्रार्थीया, अप्रार्थी के नाम दर्ज चक 5 केएचआर जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 71 के प.नं. 234/208 मु.नं. 38 कि.नं. 19 में से अपनी कृषि भूमि में चालू रास्ता से आती–जाती है। यह रास्ता पश्चिम से पूर्व दिशा में उतर दिशा के चिपता है जो अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त किला में रास्ता मौका पर चालू है जिसका प्रार्थीया उपयोग व उपभोग कर रही है। प्रार्थीया उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता चक नं. 5 केएचआर के खाता संख्या 71 के प.नं. 234/208 (38) कि.नं. 19 में चालू 1 बिस्वा पश्चिम से पूर्व दिशा में उतर दिशा के चिपता स्वीकृत करवाना चाहती है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने–जाने के लिये अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। प्रार्थीया के अपने खेत में आने–जाने के लिये कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है जिससे उन्हे भारी परेशानी व मानसिक वेदना हो रही है इसलिये प्रार्थीया को आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीया इसी किला में से होकर अपने खेत में आती जाती है। अब अप्रार्थी उक्त रास्ता को बन्द करने पर आमदा है,यदि अप्रार्थी अपने इस विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया अपने खेत में आने–आने से वंचित रह जायेगी जिससे उसे अपूरणीय क्षति व घोर मानसिक वेदना होगी व नाहक मुकदमेंबाजी बढ़ेगी।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी देवीलाल पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा स्वयं उपस्थित आया व अपना राजीनामा पेश किया कि उसके नाम से चक नं. 5 केएचआर के खाता संख्या 71 के प.नं. 234/208 मु.नं. 38 कि.नं. 19 में चालू 1 बिस्वा यानि 0.013 है. पश्चिम से पूर्व दिशा में उतर दिशा के चिपता रास्ता स्वीकृत किया जाता है उसे कोई आपत्ति नहीं है। रास्ता बाबत हमारा आपस में राजीनमा हो चुका है।

Scanned by CamScanner

तहसीलदार टिब्बी से रास्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट पत्रांकक 4407 दिनांक 5.12.2017 से प्राप्त की गई जो उनसे दिनांक 9.5.2018 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट कैम्प कोर्ट खाराखेड़ा में पेशी में ली गई । रिपोर्ट अनुसार मौका निरीक्षण के दौरान दोनों पक्षकार उपस्थित मिले ,प्रार्थीया की ढ़ाणी किला नं. 18 में बनी हुई है जिसमें वह निवास करती है, इस ढ़ाणी में किला नं. 19 में से होकर आती–जाती है,परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है,कि.नं. 19 से आने–जाने में आसानी रहती है मौके पर रास्ता चालू है। मुताबिक राजीनामा व रिपोर्ट अप्रार्थी देवीलाल के नाम से चक नं.5 केएचआर के खाता संख्या 71 के प.नं. 234/208 मु.नं. 38 कि.नं. 19 में से 1 बिस्वा यानि 0.013 है.पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तर दिशा के चिपता स्वीकृत किये जाने पर सहमति है और इसी अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रार्थीया ने कथन किया कि उसके द्वारा रास्ता की एवज में आई भूमि के बदले में अप्रार्थी देवीलाल को राशि का भुगतान पूर्व में कर दिया है। रास्ता की एवज में कोई राशि देनी बकाया नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी देवीलाल के नाम से दर्ज चक नं.5 केएचआर के खाता संख्या 71 के प.नं. 234/208 मु.नं.38 कि.नं. 19 में से 1 बिस्वा यानि 0.013 है.पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तर दिशा के चिपता हुवा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मुताबिक निर्णय अप्रार्थी देवीलाल के रकबा चक नं. 5 केएचआर के खाता संख्या 71 के 234/208 मु.नं.38 कि.नं. 19 में से 1 बिस्वा यानि 0.013 है. रकबा का राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 11.5.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान ग्राम पंचायत खाराखेड़ा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

Scanned by CamScanner